रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-14032026-270951
SG-DL-E-14032026-270951

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 81]	दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 13, 2026/फाल्गुन 22, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 502
No. 81]	DELHI, FRIDAY, MARCH 13, 2026/PHALGUNA 22, 1947	[N. C. T. D. No. 502

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण विभाग

(दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति)

अधिसूचना

दिल्ली, 13 मार्च, 2026

फा.सं. डीपीसीसी/(3)(3)(8–44)/प्रशा0–18/7677.—जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 2 के खंड (i) के साथ पठित धारा 12 की उपधारा (3क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के अध्यक्ष, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल के पूर्वानुमोदन से एतद् द्वारा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति में **सदस्य सचिव** के पद हेतु भर्ती पद्धति से संबंधित निम्नलिखित विनियमन बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ :–** (1) इन विनियमनों को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, सदस्य सचिव, भर्ती विनियमन, 2026 कहा जाएगा।

   (2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :– उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन विनियमनों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं इत्यादि :–** उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता :–** कोई भी व्यक्ति,

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है; या

(ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :

बशर्ते कि सरकार यदि इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति या अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत अनुमति योग्य है तथा ऐसा करने के अन्य आधार हैं तब किसी व्यक्ति को इस विनियमन के प्रचालन से छूट प्रदान की जा सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति :–** जहां सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन विनियमनों के किन्हीं उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।

6. **बचाव :–** इन विनियमनों में कोई भी बात इस संबंध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

अनुसूची

1.	**पदनाम**	:	**सदस्य सचिव**
2.	**पदों की संख्या**	:	01* (2026) इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।
3.	**वर्गीकरण**	:	श्रेणी 'क'
4.	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर–13क (131100–216600/– रुपये)
5.	**क्या चयन पद है या गैर चयन पद**	:	लागू नहीं
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	लागू नहीं
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ**	:	लागू नहीं
8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी**	:	लागू नहीं
9.	**परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	:	लागू नहीं

10.	**भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत**	:	प्रतिनियुक्ति द्वारा
11.	**यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है**	:	**प्रतिनियुक्तिः–** मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर–13क (131100–216600/– रुपये) में आईएएस अथवा दानिक्स या राज्य पीसीएस अधिकारी; या वेतन मैट्रिक्स के स्तर–13 (123100–215900/– रुपये) में दो वर्षों की सेवा सहित; अथवा मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर–12 (78800–209200/– रुपये) में छः वर्षों की सेवा सहित; तथा निम्नलिखित अनिवार्य योग्यताएं रखने वाले :– किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से विज्ञान/अभियांत्रिकी/प्रबंधन में स्नातक। **टीप–1 –** केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, यह सामान्यतः पांच वर्षों से अधिक नहीं होगी। **टीप–2 –** नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी।
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?**	:	लागू नहीं
13.	**वे परिस्थितियॉं जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	लागू नहीं

संदीप मिश्रा, सदस्य सचिव

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT

(Delhi Pollution Control Committee)

NOTIFICATION

Delhi, the 13th March, 2026

No. DPCC/(3)(3)(8-44)/Admn-18/7677.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3A) of section 12 read with clause (i) of section 2 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, the Chairman, Delhi Pollution Control Committee, with prior approval of Hon'ble Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following regulations regarding method of recruitment for the post of Member Secretary in the Delhi Pollution Control Committee, namely:-

1. **Short title and commencement.—**(I) These regulations may be called the Delhi Pollution Control Committee, Member Secretary Recruitment Regulations, 2026.

   (II). They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix -** The number of said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these regulations.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc. -** The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications. -** No person,-

   (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or;

   (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person, shall be eligible for appointment to the said posts:

   Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this regulation.

5. **Power to relax. -** Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or ategory of persons.

6. **Saving. -** Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	**Number of Post(s)**	**Classification**	**Level in Pay Matrix**	**Whether Selection Post or Non-Selection Post.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
Member Secretary	01* (2026) Subject to variation dependent on workload	Category 'A'.	Level 13A (Rs. 131100-216600) of Pay Matrix	Not applicable.
Age limit for direct recruits	**Educational and other qualifications required for direct recruits**	**Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in case of promotes**	**Period of probation, if any**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods**
(6)	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**
Not applicable	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable	By Deputation

In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	**(12)**	**(13)**
Deputation IAS or DANICS or State PCS Officers in the pay Level-13A (Rs. 131100-216600) in the Pay Matrix on regular basis in the parent cadre or department: OR with two years' service in the Level-13 (Rs. 123100-215900) of the pay matrix OR with six years' service in the Level-12 (Rs. 78800-209200) of the pay matrix on regular basis in the parent cadre or department: AND possessing the following essential qualification:- Graduate in Science/Engineering/Management from a recognized institute or university. **Note-1** - Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department or the Central Government shall ordinarily not exceed five years. Note-2 - The maximum age limit of appointment shall not exceed fifty six (56) years.	Not applicable.	Not applicable.

SANDEEP MISHRA, Member Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2026.03.14 11:45:36 +05'30'